भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1817

03.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों के साथ विकासात्मक सहयोग

1817. **श्री मनोज कोटज:**

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के विदेशों के साथ विकासात्मक सहयोग के लिए नीति संबंधी दस्तावेज तथा दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विकासात्मक सहयोग को आगे ले जाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) भारत की विदेश नीति में विकास सहयोग एक प्रमुख साधन है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के विकास सहयोग के क्षेत्र और पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। भागीदार देशों के साथ विकासात्मक सहयोग मुख्य रूप से अनुदान सहायता, ऋण श्रृंखलाओं (एलओसी) और रियायत वित्तपोषण योजना जैसे साधनों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। भारत के विकास सहयोग के मुख्य साधनों में ऋण श्रृंखलाएं शामिल हैं। भारत सरकार की ऋण श्रृंखलाओं का अभिशासन विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। ये दिशानिर्देश भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत जारी होते हैं और दिशानिर्देशों का नवीनतम संस्करण 07 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था। ये दिशानिर्देश आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) और समय-समय पर जारी सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए अनुदान सहायता की पहल की जाती है। रियायती वित्तपोषण योजना अभिशासन 'विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं के लिए बोली देने वाली भारतीय संस्थाओं की सहायता' हेतु अगस्त, 2018 में यथासंशोधित दिशानिर्देशों द्वारा किया जाता है। ये दिशानिर्देश भी आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ख) विकास सहयोग के केंद्र में भारत के पड़ोसी देश और अफ्रीकी देश रहे हैं, हालांकि भारत दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्व और मध्य एशिया, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका, प्रशांत द्वीप देशों आदि में भी अपने विकास सहयोग का विस्तार कर रहा है। 2005-06 से अब तक, 63 देशों को 279 ऋण श्रृंखलाएं प्रदान की गई

हैं जो लगभग 27.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हैं। इनमें से लगभग 11.58 बिलियन अमरीकी डॉलर की 191 ऋण श्रृंखलाएं अफ्रीका को, लगभग 15.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 54 ऋण श्रृंखलाएं एशिया को और लगभग 1.06 बिलियन अमरीकी डॉलर की शेष 34 ऋण श्रृंखलाएं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, ओशिनिया और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल क्षेत्र (सीआईएस) को प्रदान की गई हैं।

अफ्रीकी देशों के साथ हमारी हमारी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से, पिछले दशक में, विशेष रूप से 2015 में भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) -III के बाद विभिन्न विकास साझेदारी पहल की गई थीं। भारत ने 2015 में आईएएफएस-III में विकास परियोजनाओं के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखलाओं की घोषणा की, जिसे 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा। इन ऋण श्रृंखलाओं के तहत बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा, सिंचाई, कृषि और विनिर्माण क्षमता विकसित करने की परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। 2015 में आईएएफएस-III के बाद अफ्रीकी देशों के लिए स्वीकृत ऋण श्रृंखलाओं के तहत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

वर्ष 2015 में, भारत सरकार की ऋण श्रृंखलाओं को अभिशासित करने वाले दिशानिर्देशों को दक्षता में सुधार और प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया था। विकासशील देशों को दी जाने वाली ब्याज दर और ऋण की समय-सीमा को भी अधिक आकर्षक बनाया गया है। नए दिशानिर्देश लागू होने के बाद से परियोजनाओं के प्रतिपादन और निष्पादन में सुधार हुआ है और इससे परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद मिली है।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में 15 देशों में कुल 27 विशिष्ट परियोजनाओं को भारत सरकार की ऋण श्रृंखलाओं के तहत 1,392.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित वित्तपोषण द्वारा कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। इन परियोजनाओं की घोषणा 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन में की गई थी।

वर्ष 2018 में, ऐसी व्यवहार्य परियोजनाओं के साथ आने वाले भागीदार देशों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने की सुविधा (पीपीएफ) शुरू की गई थी, जिन पर ऋण श्रृंखलाओं के तहत विचार किया जा सकता है क्योंकि कई देशों को एक उचित परियोजना प्रस्ताव की पहचान, संकल्पना और तैयारी करने में सहायता की आवश्यकता होती है। पीपीएफ इस संदर्भ में त्वरित सुलभता और मांग प्रेरित तंत्र उपलब्ध कराता है। पीपीएफ के तहत प्रस्तावित परियोजना के लिए रिपोर्ट तैयार करने के खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। पिछले एक साल में 11 देशों में 19 परियोजनाएं पीपीएफ प्रणाली के तहत शामिल की गई हैं।

****